



टी बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार  
14,बी.टी.एम.सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001

[www.teaboard.gov.in](http://www.teaboard.gov.in)

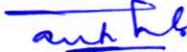
दिनांक:10.04.2023

**कार्यालय ज्ञापन सं.36/2023**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बिमान गोगोई(जी-151),लेखा अधिकारी, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी से संबद्ध,30.01.2024 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। टी बोर्ड उप-नियम, 1955 (यथा संशोधित) के उप-नियम 30 के अनुसार, एफआर 56(ए) के साथ पढ़ा जाता है, उन्हें 31.01.2024 के अपराह्न से बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किया जाएगा।

श्री गोगोई अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, नियमों के तहत सभी प्रकार के अवकाश का लाभ उठा सकते हैं जिसके वे हकदार हैं, जिसमें परिवर्तित/अर्धवेतन अवकाश भी शामिल है। तथापि,यदि वह भारत के भीतर बिताते हैं तो उन्हें एक बार में 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिनांक 25.09.2008 को जारी भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,कार्मिक और प्रशिक्षण के का.ज्ञा.संख्या 14028/3/2008-स्था(एल) के अनुसार यदि वह चाहे तो उन्हें सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश की अवधि के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान भी किया जा सकता है(बशर्ते कुल अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश 300 दिनों से अधिक नहीं होगा)।

  
(आशीष देब)

सहायक सचिव (प्र)

**वितरण:**

|     |                                                          |                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | श्री बिमान गोगोई,<br>लेखा अधिकारी,<br>टी बोर्ड, गुवाहाटी |                                               |
| 2.  | कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी                               |                                               |
| 3.  | वि.स.एवं मु.ले.अ.                                        |                                               |
| 4.  | लेखा अधिकारी (वेतन & रोकड़)                              |                                               |
| 5.  | अवकाश शाखा                                               |                                               |
| 6.  | प्रभारी, पेंशन & पीएफ शाखा                               |                                               |
| 7.  | सचिवालय शाखा                                             |                                               |
| 8.  | आईटी कक्ष                                                | बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित |
| 9.  | टीबीइए                                                   |                                               |
| 10. | चाय बोर्ड कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, कोलकाता         |                                               |
| 11. | स्थापना शाखा                                             | अतिरिक्त प्रतियाँ सहित                        |

**संदर्भ. फाइल सं. 21(1)/स्था/2020**